रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 2016/फाल्गुन 3, 1937
No. 120] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 2016/ PHALGUNA 3 , 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2016

सा.का.नि.188(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 914(अ), तारीख 26 नवंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उनसे द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 26 नवंबर, 2015 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अत:, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान (दूसरा संशोधन) नियम 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 105 में, उपनियम (1) में,-

(i) खंड (ख) में, ''मोटर साइकिल'' शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''(खख) 1 अप्रैल, 2017 को और उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक दोपहिया में नियम 124 के उपनियम (1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित पालन और स्थापन अपेक्षाओं के लिए प्रवृत्त लागू मानकों के अनुरूप एक या दो हैड लैम्प होंगे, जो तब स्वत: ही प्रकाशित हो जाएंगे जब इंजन चालू होगा:

परंतु हैड लैंप की प्रकाशित होने की उपरोक्त शर्त, जब इंजन चालू हो का समाधान हो गया समझा जाएगा, यदि दिन के

समय प्रकाशित होने वाले लैंप की व्यवस्था हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधसूचित पालन और स्थापन अपेक्षाओं के लिए प्रवृत्त लागू मानकों के अनुरूप हो, जो तब स्वत: ही प्रकाशित हो जाएंगे जब इंजन चालू हो:

परंतु यह और कि दिन के समय प्रकाशित होने वाला लैम्प तब स्वत: ही बंद हो जाएगा जब इंजन चालू हो और हैड लैम्प प्रकाशित हो;'' ।

[सं. आरटी- 11036/14/2015-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 133(अ), तारीख 29 जनवरी, 2015 को संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2016

G.S.R. 188(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 914(E), dated the 26th November, 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section (3), sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the said notification containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 26th November, 2015;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as principal rules) in rule 105, in sub-rule (1),--

(i) in clause (b), the words "motor cycles," shall be omitted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(bb) every two wheeler manufactured on and after the 1st April, 2017, shall have one or two head lamps, conforming to the applicable standards in force for performance and installation requirements as notified by the Central Government from time to time vide according to sub-rule (1) of rule 124, which shall automatically switch on when the engine is running:

Provided that, the above condition of the head lamp being lit when the engine is running is deemed to be satisfied if daytime running lamp is provided, conforming to the applicable standards in force for performance and installation requirements as notified by the Central Government from time to time, which shall be lit automatically if the engine is running:

Provided further that the daytime running lamp shall be lit off automatically if the engine is running and the head lamp is switched on;".

[No. RT-11036/14/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2ndJune, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 133(E), dated the 29th January, 2015**.**

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.